

शपथ पत्र

समक्ष:- जिला पर्यटन विकास अधिकारी, जनपद हरिद्वार।


मैं मोनिक धवन पुत्र श्री सुभाष चन्द निवासी ए-14 मां गंगा हवेली, श्रीराम नगर, रेलवे

स्टेशन के सामने ज्वालापुर, हरिद्वार शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ -

- 1- यह कि मेरा/हमारा उपरोक्त नाम व पता सही एवं सत्य है।
- 2- यह कि मैं/हम अपने अवासीय भवन स्थित (पता) निवासी ए-14 मां गंगा हवेली, श्रीराम नगर, रेलवे स्टेशन के सामने ज्वालापुर, हरिद्वार में स्वयं के उपयोग के अतिरिक्त अवस्थित अतिरिक्त कक्षों 06 24 शैय्याएं को अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करने के इच्छुक है।
- 3- यह कि उक्त आवासीय भवन का पूर्ण निजी स्वामित्व मेरा/हमारा स्वयं का है जिस पर स्वामित्व अथवा कोई झगड़ा विवाद नहीं है।
- 4- यह कि मेरे/हमारे भवन का मानचित्र अनुमोदन/भवन निर्माण के सम्बन्ध में कोई वाद नहीं है अथवा भवन प्राधिकरण/स्थानीय निकायों के गठन से पूर्व का निर्मित है जिस कारण मानचित्र नहीं है/स्वीकृत नहीं है। भवन हैरिटेज दृष्टि से पर्यटकों हेतु उपयोगी है।
उक्त के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने की दशा में मैं/हम इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होऊंगा/होंगे। ऐसी स्थिति में मेरा/हमारा इस योजनान्तर्गत पंजीकरण निरस्त करने का अधिकार विभाग का होगा।
- 5- यह कि मेरे/हमारे द्वारा अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली 2015 (प्रथम संशोधन नियमावली 2016) तथा समय-समय पर जारी संशोधनों में किये गये प्राविधानों/नियमों/उप नियमों/शर्तों को भली-भांति पढ़ लिया गया है जिसका पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण रूप से बाध्य होऊंगा/ होंगे।

उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्य सत्य व सही हैं, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है यदि इसमें कोई भी तथ्य झूठा पाया जाये तो उसकी जिम्मेदारी मुझे शपथकर्ता की होगी। ऐसी स्थिति में मेरी/हमारी इकाई का पंजीकरण निरस्त किये जाने पर मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी न ही कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

आज दिनांक- 5/8/24 को मैं/हम शपथकर्ता उपरोक्त लिखी गई शपथ पत्र की सभी शर्तों को सही व सत्य होना कबूल करता हूँ/करते हैं/करती हूँ।



IDEN ...

Monik

हस्ताक्षर शपथकर्ता